न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

क्रमांक :– दुरूस्ती/21/1481 दिनांक 13-12-21

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कणाऊं भू. अभिलेख निरीक्षक चेक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार भादरा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कणाऊं तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 178/178 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है –

क्र. स.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कणाऊं	178/178 खसरा सं० 45व 61	तुलछा वल्द मगनी सा देह	तुलछाराम वल्द भानीराम सा० राजपुरा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

क्रमांक:– सम/21/1482-83 दिनांक: 13-12-21

प्रति:– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी/प्रार्थिया तुलछाराम वल्द भानीराम सा० राजपुरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़